हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अतः अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा–अमरपुरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 03–13 बीघा, खसरा नम्बर 22 रकबा 06–07 बीघा, खसरा नम्बर 52 रकबा 04–13 बीघा, कुल किता–3 कुल रकबा 14–13 बीघा तथा खसरा नम्बर 48 रकबा 28–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि की विवादित आराजी की भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग का विक्रय हस्तान्तरण आदि नहीं करने तथा सायल के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करने हेतु आगामी तारीख पेशी तक गै0सा0 को पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें तलबाना पेश होने पर गैर सायलान को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 05/01/2015 को पेश हो।

ह0

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

15 वकील सायल उप0। गै0सा0 सं0 03 की ओर से वकील श्री नीतेश चौहान अधिवक्ता, गै0सा0 सं0 4, 5, 6, 8, 11 व 12 तथा 10 की ओर से वकील श्री कुशलराम आर्य अधिवक्ता, प्रति0सं0 18 की ओर से श्री महेन्द्र प्रजापत अधिवक्ता तथा प्रति0 सं0 9, 13, 14 व 17 की ओर से श्री धर्मेश जांगिड़ अधि0 सा0मि0 हो। प्रति0सं0 15 व 16 ने वकालतनामा पेश किए, सा0मि0 हो। प्रति0सं0 15 व 16 की ओर से श्री जांगिड़ ने वकालतनामा पेश करने का समय लिया गया है, समय दिया जाता है। गै0सा0सं0 1, 2, 7 तथा 19 का बावजूद तामिली। सूचना का बाद इन्तजार हाजिर न आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते पेश करने जवाब व वका0 आयन्दा दिनांक 02-03-2015 को पेश हो।

SDO.

5 वकील सायल उप0। वकील मय सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकील मय सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 208/14 में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाईश/लोगों की समझाईश से राजीनामा हो गया है अतः वाद वापिस लेना चाहते हैं। चूंकि उक्त वकील मय सायल ने अपनी इच्छा से प्रार्थना पत्र द्वारा चलाना नहीं चाहते से खारिज किए